उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन सं0:– ए–5/ई–1/2025

सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा–2025

संक्षिप्त विज्ञापन

1. इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक **28.07.2025** से आयोग की वेबसाइट **https://uppsc.up.nic.in** पर उपलब्ध रहेगा जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आयु में छूट के सम्बन्ध में निर्धारित महत्त्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे।

2. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात् एवं अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें।

1. **रिक्तियों का विवरण–** वर्तमान में सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा–2025 के अन्तर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 7466 है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अन्तर्गत पुरुष शाखा हेतु 4860 रिक्तियाँ एवं महिला शाखा हेतु 2525 रिक्तियाँ और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत कुल रिक्तियाँ 81 हैं। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों /आवश्यकतानुसार बढ़/घट सकती हैं।

2. **शैक्षिक अर्हता–** जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिन्दु–8 "शैक्षिक अर्हता" में दिया गया है।

3. **आयु सीमा:** चयन हेतु अभ्यर्थियों को 01 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगा। उ०प्र० के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों, जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिन्दु–5 व बिन्दु–9 में दिया गया है, के लिए नियमानुसार आरक्षण/अधिकतम आयु सीमा में शिथिलन अनुमन्य होगा।

4. ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि–**28.07.2025**

5. ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि–**28.08.2025**

6. ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि–**04.09.2025**

आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण (O.T.R.) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना सुनिश्चित करें क्योंकि "O.T.R. आधारित ऑनलाइन आवेदन" ही स्वीकार किये जायेंगे।

दिनांक: प्रयागराज, 14.07.2025 सचिव